[Dr, Saradish Roy]

into the affairs of the staff, the loco-running staff. Further, about 1200 retrenched and 1100 under penal transfers are there. The loco-running staff which has since been replaced, has not acquired so much experience. But they have been given charge of mail, express and other fast trains and they are forced to run them at higher speed, though they have not got the experience. They have removed most of the experienced staff. In the last Budget Session many of us requested that the railways should consider the cases of retrenched people and those under penal transfers favourably and bring them back to service. Some members of the staff were dismissed and some were prematurely retired. There should be a good employer-employee relation in the railways. So, I would request that this should be looked into carefully and steps should be taken so that the discontentment among the loco-running staff due to the fault of railway management is removed.

I have already stated that the track should be looked into. The damage to bridges and culverts and track reported by Sikri Committee has not been looked into. The drivers are asked to run trains at a higher speed. This should also be looked into.

There are other things in the Supplementary Budget demands. There is a proposal for seven lines. Out of them in two cases there is a proposal for conversion from metre-gauge to broadguage and the rest of the lines are of broadguage. There is also a provision for BOXC wagons, double-deckers and brakewagons. Last time, in the Budget speech the Railway Minister said that it is not the time to convert metregauge into broadgauge. But here, in two cases at least it is conversion, why should it not be done in other cases. Why should not the narrow-guage lines be transformed into broadguage lines? This should be considered carefully.

At that time also he said that there is....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Roy, are you concluding in a minute or two ?

DR. SARADISH ROY: No.

MR. DEPUTY-SPEAKER: As it is 17.30, then we are taking up Half-An-Hour Discussion. You can continue next time. Shri Virdhi Chander Jain.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

CONSTRUCTION OF DAMS IN GANDHI SAGAR AREA, MADHYA PRADESH

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो मैंने आधे घंटे की चर्चा के लिए उठाया है, यह प्रश्न राजस्थान के कृषि उत्पादन की दृष्टि से विद्युत उत्पादन की दृष्टि से और औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

सब से पहले मैं एतिहासिक रुपरेखा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करुंगा। यह जो चम्बल मल्टीपिल प्रोजेक्ट है, यह 4 सितम्बर, 1960 को राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री की सहमति से तैयार हुई थी और उस योजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश का बराबर बराबर का हिस्सा कास्ट और बैनीफिट्स में था। इस आधार पर यह प्रोजेक्ट तैयार की गई और इस प्रोजेक्ट चम्बल नदी के समस्त जल-भराव क्षेत्र के पानी के आधार पर तैयार किया गया था। इसलिए मैं यह जानना

चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस प्रोजेक्ट को, जो तैयार की गई है, इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ? इस से यह स्पष्ट हो जाएगा कि चम्बल का जो केचमेंट एरिया है, जो 8,700 वर्ग मील में फैला हुआ है, उस केचमेंट एरिया के पूरे पानी को उपयोग में लाया जा सकता है, उस पूरे पानी के उपयोग की यह योजना बनाई जा सकती है परन्तु मध्य प्रदेश की सरकार ने, जैसा कि जबाव में स्पष्ट है, 57 ईरीगेशन स्कीम्स बना कर और 29 जो स्कीमें हैं ईरीगेशन की, वे अन्डर कन्सट्रक्शन हैं, एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जो एग्रीमेंट था, प्रोजेक्ट में जो शर्तें थीं, जो दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच में समझौता था, उस का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हुआ है। इस तरह से चम्बल नदी का जो सम्पूर्ण समस्त पानी है, वे जितनी भी योजनाएं बनी हैं गांधी सागर डेम, राना प्रताप सागर डेम, जवाहर सागर डेम और कोटा बेराज, इन की पूर्ति नहीं करता और अकाल के समय में पानी का संकट रहता है और लीन सीजन में लीन समय में पानी का हर समय संकट रहता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मध्य प्रदेश की सरकार ने राजस्थान सरकार से परमिशन नहीं ली, इन्टर-स्टेट जो कन्ट्रोल बोर्ड है, उस के चैयरमेन की राय नहीं ली और बिना राय ले कर जो एग्रीमेंट था, उस का खुल्लम-खुल्ला अतिक्रमण किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो 57 डैम बने हैं। इनकी क्या केपेसिटी है ? इन डैम्स में भरने की कितनी क्षमता है, और जो अन्डर कंस्ट्रक्शन हैं उनकी किस प्रकार की क्षमता है ? और भी जो प्रोपोजल्स हैं उनके बारे मैं भी मंत्री जी सम्पूर्ण जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

मुझे जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है कि इस गांधी सागर का एवरेज भराव ईल्ड 3.822 मिलियन एकड़ फीट का है। उस में से 1.25 मिलियन फीट को मध्य प्रदेश सरकार ने इन्टरसेप्ट किया है। अगर इस प्रकार का इन्टरसेप्शन होता है तो हमारे यहां विद्युत, सिंचाई की दृष्टि से बहुत धक्का पहुंचेगा। मुझे तीन-चार सालों की जानकारी प्राप्त है। हमारे राजस्थान में उद्योग, विद्युत और कृषि इन तीनों के उत्पादन को धक्का पहुंचा है। हमारे राजस्थान में यों ही विद्युत की स्थिति खराब है। लगातार दो-तीन सालों से हम फेमीन की स्थिति में हैं। इस में भी गांधी सागर जो एक सहारा था वह सहारा भी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहा है। यह स्थिति राजस्थान में भराव की है। वहां पर समय पर बिजली प्राप्त नहीं होती है। दो-दो, तीन-तीन घंटे बिजली कृषि के लिए प्राप्त होती है। उद्योगों में करीब 50, 60, 80 और यहां तक कहीं कहीं 100 परसेंट का कट करना पड़ता है। ईरीगेशन के लिए जो पानी उपलब्ध होना चाहिए वह पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। इस से इस क्षेत्र को बड़ा भारी नुकसान हो हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ प्रश्न आप से पूछना चाहता हूं—

क्या यह सही है कि चम्बल बहु-उद्देशीय परियोजना चम्बल नदी के समस्त भराव क्षेत्र (केचमेंट एरिया) में उपलब्ध कुल पानी के आधार पर तैयार की गयी थी ?

क्या यह सही है कि दिनांक 4 सितम्बर, 1960 को आयोजित राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक में यह सहमति हो गई थी कि उक्त परियोजना की लागत एवं लाभ पर बराबर साझेदारी होगी ?

क्या यह सही है कि गांधी सागर की डिजाइन समस्त वार्षिक जल भराव क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए तैयार

[श्री वृद्धि चन्द जैन]

किया गया था तथा इस बांध का केचमेंट एरिया 8,700 वर्गमील का है ?

क्या यह सही है कि गांधी सागर की केपेसिटी सालाना उपलब्ध पानी के दुगुनी मात्रा के आधार पर बनाई गई थी ताकि पावर एवं सिंचाई का 90 प्रतिशत वर्ष में पूरा उपयोग हो सके ?

क्या यह सही है कि गांधी सागर बांध के केचमेंट एरिये में जलप्रवाह अवरुद्ध किया जा रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप शक्ति और सिंचाई के लाभों को नुकसान होगा ?

क्या यह सही है कि गांधी सागर बांध के केचमेंट एरिये का जलप्रवाह अवरुद्ध किया जा रहा है और किया गया है जिस से सिंचाई के लाभ को नुकसान हुआ है और टोटल ईल्ड 3822 मिलियन एकड़ फीट में से 1.25 मिलियन एकड़ फीट का इन्टरसेप्शन इस बांध से हुआ है ? क्या यह इन्टरसेप्शन ब्रीच आफ ट्रस्ट नहीं है ?

क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर के केचमेंट एरिये में ईरीगेशन स्कीम के बनाने के पहले राजस्थान सरकार से अनुमति ली थी ?

मध्य प्रदेश सरकार गांधी बांध के पानी के प्रवाह को अवरुद्ध कर विद्युत शक्ति एवं सिंचाई को नुकशान पहुंचा रही है, उसकी क्षतिपूर्ति आप किस प्रकार करायेंगे ?

गत दस वर्षों में गांधी सागर के केचमेंट एरिये में कितनी एवरेज वर्षा र कितना पानी का भराव हुआ ?

क्या यह सही है कि गांधी सागर में पानी का स्तर सालों साल गिरता जा रहा है ? इस समय पानी का स्तर क्या है ?

गांधी सागर बांध के भराव की पूरी क्षमता कितनी है और अब कितने फुट पानी का भराव है ?

57 सिंचाई योजनाएं गांधी सागर के केचमेंट एरिए में कब कब बनी थीं और उनकी पानी की क्या क्षमता है और उनके कंस्ट्रक्शन के बाद उन बांधों में कितना-कितना पानी आया है और उसने कितने क्षेत्र को सिंचित किया है ?

29 ईरीगेशन स्कीम्स जो अण्डर कंस्ट्रक्शन हैं वे किस स्टेज पर हैं और उनकी क्या क्षमता है ?

क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक अगस्त, 1981 में हुई और उसमें यह तय हुआ है कि---

Proper assessment works completed and proposals would be jointly made by the States.

उक्त असेसमेंट के कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करने के लिए केन्द्र सरकार अपनी शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करेगी।

क्या यह सही है कि जब तक उक्त डिस्प्यूट का फाइनल निर्णय नहीं हो, केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को आदेश देकर बाध्य करेगी कि जो वर्क्स कंप्लीट है, उसमें पानी स्टोर न करे और गांधी सागर की ओर पानी का मोड़ कराए और जो योजनाएं अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, उन पर आगे कार्य न करने के लिए आदेश देकर स्टे आदेश का पालन कराए ?

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चम्बल केचमेंट एरिया में इरीगेशन स्कीम्स के जो प्रोपोजल्स दिए जाएंगे उन्हें सेंट्रल वाटर कमीशन और प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाएगी, इसके लिए क्या आप हमें आश्वासन देना चाहते हैं।

इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट केन्द्र सरकार को बहुत ही सीमित अधिकार दिलाता है। इस संबन्ध में या तो नेगोसिएशन से विवादों को हल किया जाए या ट्रिब्यूनल में मामला रखने का अधिकार दिया जाए। विवादों को निपटाने के लिए अभी कोई भी सक्षम नहीं है। राजस्थान में 12 इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस बारे में आवश्यक कदम उठाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो क्या संविधान में संशोधन कर के अभी जो इरीगेशन को स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है, उस में भी परिवर्तन करेगी, ताकि इस से जिन राज्यों के हितों को कुठाराघात पहुंच रहा है, उन्हें राहत दिलाई जा सके।

इन शब्दों के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान राज्य के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। हमारी वित्तीय स्थिति पहले ही खराब हो रही है। दो सौ करोड़ रुपये का रिजर्व बैंक ओवर-ड्राफ्ट हमारे ऊपर है और अभी भंयकर अकाल की स्थिति हमारे सामने आ रही है, इसका भी हमें सामना करना है। इस स्थिति में केन्द्र सरकार इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटा कर क्या हमें सहयोग देगी—यही मैं आप से निवेदन कर रहा हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि गांधी सागर बांध और उसके केचमेंट एरिया में मध्य प्रदेश सरकार ने 300 से अधिक छोटी-बड़ी योजनाएं बनाईं और प्रश्न के जबाव में बताया गया कि 57 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 29 योजनाओं पर काम चल रहा है।

जहां तक गांधीसागर बांध का संबंध है, इस में मुख्यत: शिप्रा, शिवना और छोटी काली सिंध नदियां इसके कैचमेंट एरिया को भरने में सहायता करती हैं। गांधीसागर बांध के पानी के भराव के सम्बन्ध में पिछली स्थिति को देखा जाए तो इसके उदघाटन के बाद से 20 सालो में कुल मिलाकर 3–4 बार ही यह पूरा भर पाया होगा। हर साल यह पूरा भरा हो, ऐसी बात नहीं। जब कैचमेंट एरिया में मेग्जिमम रेन फाल होता है तो बांध भरता है....। यह बांध हमेशा नहीं भरता है। जब चम्बल घाटी की योजना बनाई गई थी तो उसके ऊपर तीन चार बांध बांधे गए थे, गांधी सागर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैरेज। कोटा बैरेज से सिंचाई की दो योजनाएं थीं। एक से राजस्थान को सिंचाई की सुविधा और दूसरे से मध्य प्रदेश की सिंचाई की सुविधा। इस प्रकार चम्बल नदी घाटी योजना से ये सारी योजनाएं बनाई गई। किन्तु इस में जितना पानी आना चाहिए था, कैचमेंट में, रिजर्वायर में जितना पानी मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसी कारण जो नीचे बांध बनाया गया इसके ऊपर जो पावर हाउसिस बिजली के लिए बनाए गए, उसकी कैपेसिटी कभी भी पूरी नहीं हुई, न जैनरेशन उस से पूरा हुआ और न बिजली पूरी मिली। गांधी सागर बांध की जैनरेशन कैपेसिटी 115 मैगावाट थी किन्तु हमेशा 60 या 80 परसेंट अपनी कैपेसिटी की बिजली दी हो, ऐसा नहीं हुआ है।

[श्री सत्यनाराण जटिया]

प्राय: पीक पावर लौड स्टेशन के रूप में वह काम करता रहा है। यह कहा गया कि गांधी सागर बांध से राजस्थान को बिजली नहीं मिली। मेरा कहना है राणा प्रताप सागर से मध्य प्रदेश को अपना हिस्सा नहीं मिलता है। वहां से मध्य प्रदेश का जितना शेयर है उसको मिलता नहीं है। इस वास्ते यह प्रशन तो हमेशा रहेगा ही। जहां बिजली पैदा होती है वे अपनी पूर्ति तो करते ही हैं। मध्य प्रदेश में केवल एक बांध है, गांधी सागर बांध। राजस्थान में दो हैं, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। जो योजनाएं बन चुकी हैं उनको अनडू तो नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में 57 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 29 अधूरी पड़ी हुई हैं। वे भी पूरी न हों यह मंशा सरकार की नहीं हो सकती है। मैं सुझाव देना चाहता हूं। फ्लैड के समय जब गांधी सागर में पर्याप्त पानी आता है तो उस पानी को अपर स्ट्रीम साइड से डाइवर्शनल कैनाल बना कर के लोअर स्ट्रीम साइड में डाइवर्ट किया जा सकता है और इसके बारे में शासन योजना बनाएगा ?

मध्य प्रदेश से बड़ी काली नदी बहती है बांध को फीड करने के लिए। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि चम्बल बांध के कैचमेंट एरिया में अगर इसको डाइवर्ट कर दिया जाए तो गांधी सागर को पर्याप्त पानी मिल सकता है।

इसी तरह से नर्मदा नदी का पानी चम्बल में मिलाया जा सकता है तो इस योजना को पूरा किया जाना चाहिए।

ये दो तीन मूल प्रश्न हैं जिन पर मंत्रालय विचार कर के कोई निर्णय ले सकता है। यह सारे देश का मामला है। यदि गांधी सागर में पर्याप्त पानी आता है तो कोटा बैरेज में भी पर्याप्त पानी जाएगा। इस बीच में तीन पावर स्टेशन जो बने हुए हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये भी उत्पादन अधिक करेंगे, पानी भी अधिक इनको मिलेगा और एनर्जी भी मिलेगी। साथ ही दूसरी तरह की सिंचाई की सुविधा भी मिल सकती है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा सिंचाई के पानी के लिए आज बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए दोनों राज्यों में लोग तरस रहे हैं।

इस वास्ते मैंने तीन सुझाव दिए है। एक अपर स्ट्रीम साइड पर डाइवर्शल कैनाल बना कर के राणा सागर को पानी डाउन स्ट्रीम साइड में देने की, दूसरे काली सिंधु को क्या ऊपर मिलाया जा सकता है और तीसरे नर्मदा के पानी से चम्बल को फीड किया जा सकता है और मैं चाहता हू कि इन पर विचार कर समुचित निर्णय किया जाए।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : इस चर्चा में कुछ कारगर और मूलभूत प्रश्न हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैरेज आदि एक एक योजना तैयार हुई, तकनीकी लोगों ने तैयार की और दोनों सरकारों ने उस पर अपनी सहमति दी। उस योजना पर काफी रुपया खर्च होने के बाद यह उम्मीद की जाती थी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को बिजली और सिंचाई की जो आवश्यकता है वह काफी हद तक पूरी हो सकेगी। पिछले कुछ सालों से राजस्थान सरकार और हम लोगों का यह अनुभव रहा है कि गांधी सागर से न

बिजली पैदा होती है और न सिंचाई होती है। मेरे मित्र श्री जटिया अभी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की भी यही हालत है। उनके यहां भी राणा प्रताप सागर से बिजली नहीं मिलती है और न ही सिंचाई होती है। आज दो राज्यों का झगड़ा नहीं है। मूल सवाल यह है कि बड़ी सिंचाई या बिजली की योजना कोई जब बनाई जाती है और उस पर करोड़ों खर्च किया जाता है तो उस से लोगों की अपेक्षायें और आकांक्षायें बढ़ती है और हमें देखना है कि वे कैसे पूरी हो सकती हैं। उसके बाद अगर वह योजनाएं कारगर रूप से उतने प्रभावी तौर पर बिजली और पानी नहीं दे पाता उसके मूल में क्या कारण हैं ?

मैं आप से इस बारे में यह प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या कारण है कि गांधी सागर राणा प्रताप सागर, कोटा बैरेज और जवाहर सागर से जो हमारे सिंचाई के और बिजली उत्पादन के लक्ष्य थे, वह पूरा करने में हम असफल रहे हैं? यदि असफल रहे हैं, तो उन कारणों के निराकरण के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

हमें शंका है कि यह जो 57 बांध बन गए और जो 29 बांध और बनने जा रहे हैं, इनके कारण हमारे गांधी सागर में पानी नहीं आता। आखिर कैचमेंट एरिया एक है और कैचमेंट एरिया पर छोटे-बड़े और बांध बनाये जायेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हम ऐसा मानते हैं कि पानी घटेगा। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के वाटर पावर कमीशन का यह दायित्व और कर्तव्य नहीं है कि अगर कैचमेंट एरिया में कोई नये बांध बनते हैं तो उनको आप रोक सकें? क्या यह चीज पहले आपके नोटिस में नहीं आई थी? अगर आ गई थी तो आपने मध्य प्रदेश की इस बारे में कोई जांच की होगी और नहीं तो यह कैलस एटीट्यूड क्यों है?

इसी के साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि भले ही सेंटर के पास कानूनन पावर न हो, पर मैं यह नहीं मानता कि केन्द्रीय सरकार ऐसी कमजोर है, फिर एक ही पार्टी का शासन हो केन्द्र में भी और स्टेट में भी सिवाय ढाई-तीन बरस के अर्से के अलावा, तब भी एक पार्टी का ही शासन था, तो फिर क्या आपकी परसुएसिव पावर इतनी कमजोर है कि आप कानून के सहारे के बिना, अगर कहीं इधर-उधर इन-जस्टिस होता हो तो उसको रोकने की स्थिति में नहीं है? क्या आपकी मौरल अथारिटी कोई नहीं है? अगर यह बांध बने हैं तो इनके बारे में अविलम्ब जांच की जानी चाहिए। मैं यह भी मांग करता हूं कि एक दफे बांध बन जाने के बाद हैवी कास्ट होती है, करोड़ों रुपये तक ही नहीं, अरबों रुपये तक लागत पहुंच जाती है, वह इतना रुपया लगाकर यह बाध बनाएं और उनको बन्द कर दें क्या यह अक्लमन्दी की नीति है? इसलिए जो 29 नए बांध बन रहे हैं, उनके बारे में अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए।

जांच कमीशन और सर्वे तो हमेशा टाइम लेते हैं। किसी मामले को खटाई में डालना हो तो जांच कमीशन बना दीजिए। जब तक जांच कमीशन की रिपोर्ट आयेगी, तब तक यह 29 बांध भी बन जायेंगे तब आप जबाव दे देंगे कि फेट-एकम्पली हो गए, जो बन गए सो बन गए। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह फेट-एकम्पली मत होने दीजिए

[श्री नवल किशोर शर्मा]

और इन 29 बांधों के निर्माण पर बिना लीगल अथौरिटी के आप परसुएड कर के इन्हें रुकवा दीजिए । यही मेरा मूल प्रश्न है।

मैं समझता हूं कि आप इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देंगे क्योंकि किसी भी स्टेट को रूल आफ जंगल की तरह बिहेव करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे मेरी स्टेट हो या मध्य प्रदेश की स्टेट हो, नेशन की जो बड़ी योजनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पावर और इरिगेंशन के प्रोजेक्ट को भी फेल्योर करने की कोशिश करता है, उसके साथ एज ए बिग ब्रदर आपको रोल अदा करना चाहिए और परसुएड करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़ा समय लेने जा रहा हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are already tired. You were here from the morning.

SHRI HARIKESH BAHADUR I am not tired.

MR. DEPUTY-SPEAKER: How many times you had to go out and come here? I know you are tired.

श्री हरिकेश बहादुर : जैसा कि जैन साहब ने कहा है, गांधीसागर बांध की परियोजना से राजस्थान को हर तरह का लाभ होने वाला था, खासकर विद्युत-उत्पादन में, और विद्युत उत्पादन के जरिए औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि उत्पादन में। लेकिन राजस्थान को इस बांध से उतना लाभ नहीं हो रहा है, जितनी कि संभावना थी। इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों में थोड़ा द्वंद हो रहा है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इधर राजस्थान के जैन साहब हैं और मेरे पास मध्य प्रदेश के श्री सत्यनारायण जटिया हैं। इसलिए मुझे दोनो के बीच में कोई समन्वयवादी बात कहनी पड़ती है।

MR. DEPUTY SPEAKER: You neither belong to Madhya Pradesh nor Rajasthan. You are an all India figure.

श्री हरिकेश बहादुर : इस सम्बन्ध में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो समझौता हुआ था, अगर उसके आधार पर काम हुआ होता, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान को उतनी शिकायत न होती, जितनी कि आज है । मध्य प्रदेश में पानी की कमी रहती है, लेकिन जितनी कमी राजस्थान में रहती है, उतनी मध्य प्रदेश में नहीं रहती । इस लिए यह जरूरी था कि राजस्थान को उस एग्रीमेंट के मुताबिक पानी दिया जाता, लेकिन उसमें कुछ कमी आई । इसका कारण यह है कि देश के विभिन्न भागों में जो इन्टर स्टेट वाटर डिसप्यूट्स अन्तर्राज्यीय जल विवाद चल रहे हैं, केन्द्रीय सरकार की कमजोरी की वजह से उनका सही ढंग से समाधान नहीं निकल पा रहा है ।

अभी माननीय सदस्य, श्री नवल किशोर शर्मा, ने कहा कि केन्द्र सरकार को अपनी पर्सवेसिव पावर काम में लानी चाहिए । हम तो हमेशा कहते हैं कि इस सरकार में पर्सवेसिव पावर कम है, बस डंडे की ताकत है । अगर यह सरकार डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, तो उसको अपनी पर्सवेसिव पावर को बढ़ाना चाहिए, और अगर वह डेमोक्रेसी को नहीं मानती है, तो फिर डंडे से काम ले । उसको अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए मजबूती से कदम उठाना चाहिए

और राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए। क्या वजह है कि इस तरह के कितने ही जल-विवाद चल रहे हैं और वे समाप्त नहीं हो पा रहे हैं ? मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि हम लोग भी इस विषय से सम्बन्धित हैं, कि कई राज्यों में पानी के विवाद गत गई वर्षों से चल रहे हैं और उनका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राजस्थान को इस योजना के द्वारा तत्काल अधिक से अधिक पानी मिल सके, इसके बारे में मंत्री महोदय क्या कदम उठाने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में एक सवाल और है, जो हमारे राज्य से सम्बन्धित है । एक सप्ताह पहले गंडक परियोजना के अन्तर्गत सूरजपुरा पावर हाउस का बिहार के मुख्य मंत्री और नेपाल के प्रधान मंत्री के द्वारा उद्घाटन हुआ था । अगर मंत्री महोदय को कोई जानकारी हो, तो वह बताएं, वर्ना कोई बात नहीं, कि उससे उत्तर प्रदेश और बिहार को कितनी बिजली मिलेगी । उस योजना से नेपाल का भी सम्बन्ध है । आप जानते हैं कि हमारे यहां सूखा पड़ा हुआ है और प्रायः सूखा पड़ा करता है ।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ।

MR. DEUTY SPEAPER : No, no. The rules do not permit. Their names have come in the ballot. Now, the hon. Minister.

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : उपाध्यक्ष महोदय जो सवाल उठाए गए हैं, कल इसके कि मैं उनका जवाब दूं, मैं दो मिनट में इस पर रोशनी डालना चाहता हूं कि चंबल वैली प्राजेक्ट का स्टेटस क्या है। चम्बल वैली प्राजेक्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश की दो स्टेट्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है । कोई रिटेन ऐग्रीमेंट दोनों स्टेट्स के बीच में नहीं हुआ है । जो अन्डरस्टैंडिंग थी वह यह थी कि कास्ट और बेनिफिट्स को दोनों स्टेट्स बराबर बराबर शेयर करेंगे।

18 hrs.

इस प्रोजेक्ट में तीन डैम्स बनने थे, रिजर्वायर बनने थे और एक बराज बनना था । बैराज और गांधी सागर यह 60 में कम्पलीट हो गया और दो बांध फोर्थ फाइव ईयर प्लान में कम्पलीट हो गए । सवाल यह है कि उस वक्त का जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट के हिसाब से गांधी सागर का लाइव स्टाक 5.61 मिलियन एकड़ फीट था और एवरेज एन्युअल फ्लो चम्बल और डैम से 3.88 मिलियन एकड़ फीट था । गांधी सागर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उस में रिजर्वायर में पानी इतना हो, जब पानी इफरात से बरसे तो उस को इतना स्टोर कर लिया जाय कि तीन ईयर्स में जब पानी की बारिश कम होती है तो उस में उस को इस्तेमाल किया जा सके और हमारी पानी की जरूरत पूरी हो । इस योजना के तहत जो हमारी इंरीगेशन की जरूरत थी वह 3.2 मिलियन एकड़ फीट पानी की थी और एवरेज ऐन्युअल ईल्ड इस गांधी सागर में 3.88 मिलियन एकड़ की थी ।

जहां तक इस बात का सवाल है पानी की फराहमी का, पानी के इरीगेशन के लिए मौजूद होने का और पावर जेनरेशन के लिए मौजूद होने का, जो इत्तलात हमारे पास मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिली है उन के आधार पर मैं यह कहता हूं कि पानी की कमी की ईन दोनों स्टेट्स में से किसी ने शिकायत नहीं की और न यह शिकायत की है कि पावर का जितना जेनरेशन होना चाहिए

[श्री जियाउर्रहमान अंसारी]

उतना नहीं हुआ । बल्कि जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो हमें मिनिस्ट्री आफ एनर्जी से मिले हैं उन आंकड़ों के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि एवरेज पावर जेनरेशन जितना जैनरेशन हम उस से समझते थे उस से 30 परसेंट ज्यादा है ।

श्री राम सिंह यादव : गत वर्ष कम क्यों हुआ ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं वही अर्ज कर रहा हूं, सन 80–81 को छोड़ कर बाकी हर साल में जितना जेनरेशन हमारी योजना में था उससे ज्यादा हुआ है । एवरेज जेनरेशन 30 परसेंट ज्यादा हुआ है । 79–80 में भी ज्यादा हुआ है । सिर्फ एक साल है 80–81 जिस में कम हुआ है और उस की वजह यह है.....

श्री सत्य नारायण जटिया : 72 में भी कम हुआ ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : नहीं, 72 में नहीं हुआ है और उस की वजह यह है कि दो साल बराबर बरसात की कमी रही ।

श्री राम सिंह यादव : मैक्सिमम केपेसिटी क्या है, उस रेशियो से देखिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं आप से अर्ज कर रहा हूं, गांधी सागर का प्रोजेक्ट जो डिजाइन हुआ था वह 1380 मिलयन किलोवाट अवर एन्यूअली आधार पर हुआ था । 72–73 में 1386 मिलियन किलोवाट अवर्स का जेनरेशन हुआ। अगर चाहें तो पूरी फिगर्स दे सकता हूं ।

तो मैं कह रहा था कि जहां तक पावर जैनरेशन का सवाल है सिर्फ 1980–81 में, और वह इसलिये कि 1979–80 में भी ड्राई वैदर रहा और उसकी वजह से पानी की कमी रही और फिर उसी का असर 1980–81 पर भी पड़ा और 1980–81 में भी पानी की कमी रही।

अब मैं बुनियादी सवाल पर आता हूं । बुनियादी सवाल यह है कि गांधी सागर की अपर रीचेज में, जो उसका कैचमेंट एरिया है उसके अपर रीचेज में मध्य प्रदेश ने कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिये और उसकी वजह से पानी का यूटिलाइजेशन करना चाहा । सवाल यह है और इस सवाल को 1980 में राजस्थान सरकार ने शिकायत के रूप में उठाया और वहां के इरीगेशन सेक्रेटरी ने हमको पत्र लिखा कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश बना कर के यह जो चम्बल वैली प्रोजेक्ट है उसमें पानी की कमी आ जायेगी और हमें दिक्कत हो जायेगी और हमें अपना शेयर नहीं मिलेगा इरीगेशन के लिये । हमने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा उसके आदादो-शमार क्या हैं, कौन से प्रोजेक्ट लिये हैं और कितना पानी है। जो इत्तिला उन्होंने दी है वह यह है कि 57 प्रोजेक्ट्स वह पूरे कर चुके हैं और 29 प्रोजेक्ट अन्डरकंस्ट्रक्शन हैं। और 57 प्रोजेक्ट्स वह कम्पलीट कर चुके है उसकी टोटल रिक्वायरमेंट .061 मिलियन एकड़ फीट है, और 29 प्रोजेक्ट्स जो अन्डर-कंस्ट्रक्शन है उनकी रिक्वायरमेंट .064 मिलियन एकड़ फीट होगी । यह उनकी रिक्वायरमेंट है । तो इसको अगर टोटल कर दिया जाय सारे प्रोजेक्ट्स को कम्पलीट हो जाने के बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वह 1.25 मिलियन एकड़ फीट होगी जैसा कि माननीय

सदस्य ने कहा है वह वाकयात सही नहीं है जो हमारी इत्तिला है उसके मुताबिक।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : यह इनफार्मेशन करेक्ट दी है कि नहीं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जाहिर है कि हमें जो सूचना मिली है उसी पर हम अपना जवाब तैयार करेंगे ।

उस इशू पर भी आता हूं कि सेन्टर को क्या रोल प्ले करना है । तो अगर इन आंकड़ों को देखा जाय तो सिर्फ 4 परसेंट पानी ऐसा है जो इन अपर रीचेज में वह इस्तेमाल करेंगे । जब हमने इस ओबजेक्शन को जो राजस्थान सरकार ने किये थे और जो मालूम होता था कि वाकई उनके लिये परेशानी का सबब बना हुआ है कि अगर अपर रीचेज में इस तरह के नये प्रोजेक्टस लिये जाते रहेंगे तो पानी की फराहमी नीचे के लोगों को कम होगी, जब इस ओबजेक्शन को राजस्थान सरकार के उनसे लिया गया तो उन्होंने साफ साफ यह कहा कि यह हमारी जो अन्डरस्टेंडिंग है इसमें कहीं पर भी हमको इस बात से नहीं रोका गया है कि हम 16 लाख हैक्टर जमीन को, जो हमारा कैचमेंट एरिया है जो हमारे हिस्से में पड़ता है, सारा का सारा ज्यादा कैचमेंट एरिया मध्य प्रदेश में है.... उसको हम सिंचाई से बिल्कुल वंचित कर दें, सिंचाई न होने दें, यह हम करने वाले नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष जी, हमारी पोजीशन बहुत नाजुक है । मैं बहुत सफाई से अर्ज करना चाहता हूं, हमारे दोस्त हरिकेश जी और माननीय श्री नवल किशोर शर्मा, जो कि इस सदन के सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने परस्वेसिव की जो शक्ति है, जो ताकत है, मरकजी हकूमत की उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया । उपाध्यक्ष जी, परस्वेशन हम इस हाउस में रोज देखते हैं, जब इतने छोटे से हाउस में सारा परस्वेशन बेकार हो जाता है, जिस वक्त माननीय सदस्य, श्री हरिकेश जी और उनके साथी जोश में आते हैं, तो कोई परस्वेशन काम नहीं कर पाता है । क्यांस कुन जे गुलिस्तान मन बहारे मरा—इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि परस्वेशन के क्या रिजल्ट होंगे ।

हमारे अख्तियारात का जहां तक ताल्लुक है, हमारे अख्तियारात बहुत लिमिटेड हैं । खास तौर पर अपर रिचेज के जो नए छोटे जो पौसेक्ट्स हैं, वे हमारे यहां सैन्टर वाटर कमीशन के पास क्लीयरेंस के लिए भी नहीं आते हैं । यह मजबूरी नहीं है कि उन प्रोजेक्टस को हमारे यहां क्लीयरेंस के लिए भेंजें । मसला यह आया राजस्थान सरकार की तरफ से और उन्होंने कहा कि सैन्टर को किसी तरह से इसमें इन्वाल्व करना चाहिए, ताकि वह सारी चीजों को देखें । मध्य प्रदेश की सरकार ने उसमें साफ-साफ इन्कार कर दिया कि यह हमारा बाइलेटरल मामला है, इसमें हम किसी का हस्तक्षेप गंवारा नहीं करेंगे । कमांड एरिया डवेलपमेंट प्रोग्राम में वर्ल्ड-बैंक की सहायता मध्य प्रदेश सरकार को भी हुई और राजस्थान सरकार को भी जरूरत हुई तो अब वे इस बात पर एग्री कर गए हैं और वर्ल्ड बैंक ने इन्कार कर दिया है कि जब तक पानी की एवेलेबिलिटी पूरे तौर पर एशयोर्ड नहीं होगी, सैन्टर हमको एशयोर नहीं करेगा, इस प्रोजेक्ट में मदद देने के लिए हम तैयार नहीं है । जब मामला आया कि मदद नहीं मिलेगी तो यह दबाव पड़ा, प्रैशर पड़ा ।

हमारा दबाव नहीं था० सी० ए० डी० इन्टरनेशनल डवेलपमेंट अथोरिटी और वर्ल्ड बैंक के दबाव में इस बात पर

[श्री जियाउर्रहमान अंसारी]

राजी हो गए कि हां, सैन्टर को इसमें इन्वाल्व करने के लिए तैयार हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी): मुबारक हो।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : दूसरा पहलू है, इरिगेशन के सिलसिले में। सवाल यह है कि इरिगेशन का पानी मौजूद होते हुए भी, उसके युटिलाइजेशन के लिए कैनाल्स और चैनल्स बनाने के काम में हमारी दोनों सरकारें पिछड़ गई हैं और उसका नतीजा यह है कि जो बैनिफिट्स हमको हासिल होना चाहिए, वह बैनिफिट्स हमको हासिल नहीं हुए। इस योजना के तहत सात लाख हैक्टेयर जमीन को राजस्थान में और सात लाख हैक्टेयर जमीन को मध्य प्रदेश में सींचना था लेकिन 5 सालों की जो एवरेज है—वह 4.71 लाख हैक्टेयरर्स राजस्थान का है और 4.28 लाख हैक्टेयरर्स मध्य प्रदेश का है। ये उन्हीं की फिगर्स हैं। इसके मायने यह हुए कि हमें उस पानी को खेती तक पहुंचाने के लिए जिन नहरों और डिस्ट्रीब्यूटरीज का जाल बिछाना चाहिए था, वह नहीं कर पाये। इन दोनों स्टेटस ने कमाण्ड-एरिया डवेलपमेंट की तरफ पूरी तवज्जह नहीं दी, इसीलिए हम इस का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाये। अब जहां तक इस ग्रीमेंटस का ताल्लुक है, वह भी मैंने बतला दिया है कि इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, अण्डरस्टेंण्डिग है....

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : इस योजना के बारे में कोई प्राजेक्ट रिपोर्ट बनी हुई है या नहीं?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : क्यों नहीं है?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अगर है तो रिपोर्ट में सब चीजें लिखी हुई है कि क्या अण्डरस्टेण्डिग हुई थी।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं उसी की बुनियाद पर अर्ज कर रहा हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जन : आप रिपोर्ट की कापी सदन में प्रस्तुत कर दें, सारी पोजिशन स्पष्ट हो जाएगी।

श्री सत्यनारायण जटिया : अभी भी रिजर्वायर में पर्याप्त पानी नहीं है। गांधी सागर डैम में कितना पानी है, आप इतना बतला दें उस से ही स्थिति का पता लग जाएगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : पानी बीन में ले रहे हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ): वहां अभी भी सूखा पड़ा हुआ है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जो इन्फर्मेशन हम को स्टेट से मिलती है और जो सैंट्रल वाटर कमीशन से मिलती है, मैं उनकी ही बुनियाद पर बतला रहा हूं। अगर आप को कोई दूसरी इत्तिला चाहिए तो हम को देंदें, हम जानकारी करवा लेंगे।

श्री सत्यनारायण जटिया : गांधी सागर रिजर्वायर में हर साल पर्याप्त पानी नहीं आया।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : एक सवाल शायद हरिकेश जी ने या शर्मा जी ने उठाया था—क्या केन्द्रीय सरकार इरिगेशन के सब्जैक्ट को, वाटर के सब्जेक्ट को, कान्करेंट लिस्ट में लाने का कोई इरादा रखती....

MR. DEPUTY SPEAKER: That is a big subject, and the Minister may not be able to reply to Mr. Nawal kishore.

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : हम तो ऐसा कर के बहुत खुश होंगे, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक हमारे कांस्टीट्यूशन में कोई अमेण्डमेन्ट नहीं हुआ है. .

MR. DEPUTY SPEAKER: In the Half an Hour discussion, that point does not come.

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं अर्ज कर दूं—अभी तक सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम कांस्टीच्यूशन अमेण्डमेंट लायें। अलबत्ता एन्ट्री 56 जो लिस्ट 1 है, जिस में सेन्ट्रल सब्जैक्टस हैं उन में इन्टर स्टेट रिवर्स के बारे में जो इख्तियारात मर्कजी हुकुमत को मिले हुए हैं उन इख्तियारात के तेहत हम पार्लियामेंट में कानून लाने का इरादा रखते हैं कि उन रिवर्स को जो एक स्टेट के बजाय कई-कई स्टेटस में बहते हैं उन को किस तरह से नियन्त्रित किया जाय, किस तरह से प्रोजेक्ट बने, किस तरह से समस्या का हल निकले। इस पर सरकार का इरादा बन रहा है. . . .

श्री नवल किशोर शर्मा : कब ला रहे हैं, जल्दी लाइए।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : उस को हम जल्दी ही लाने का इरादा रखते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने ज्यादातर प्वाइन्टस को कवर कर लिया है।

श्री सत्यनारायण जटिया : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं आप के सवाल का जवाब देता हूं उपाध्यक्ष जी, हमारे मुआजिज मैम्बर काफी काबिल हैं। हो सकता है कि उन की इरीगेशन के सिलसिले में टेक्नीकल नालिज हो। अनफार्चूनेचटली मैं अपने बारे में यह कह सकता हूं कि मैं कोई टेक्नोक्रेट नहीं हूं। जो प्रोजेक्टस आप ने बयान किए हैं और एक तरीका बताया है कि पानी कैसे ज्यादा फराहम किया जा सकता है, तो वह हमारे नोटिस में आ गया है और हम उस को एग्जामिन करवा लेंगे लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इर्रीगेशन का कोई प्रोजेक्ट भारत सरकार में इनिशियेट नहीं होता है। इर्रीगेशन का प्रोजेक्ट जिस स्टेट में होगा वह उसी स्टेट में इनिशियेट होगा। उसी की यह जिम्मेदारी है कि वह उस प्रोजेक्ट को तैयार करे, उसी की जिम्मेदारी है कि वह फंडस फराहम करे और उसी की जिम्मेवारी है कि वह उस का इम्पलीमेंटेशन करे। हम से तो वह सिर्फ टेकनीकल राय लेती है। जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट भेजेंगे, तो दिखवा लेंगे और उस का क्लियरेंस दे देंगे। मैं आनरेबिल मेम्बर से यह दरख्वास्त करूंगा कि वे इस के लिए अपनी स्टेट पर दबाव डालें।

MR. DEPUTY SPEAKER: I think all the hon. members are very much satisfied with the reply. The House stands adjourned to reassamble tomorrow at 11 A.M.

18.22 hrs.

The Lok Sabha than adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, September 8, 1981/Bhadra 17, 1903 (Saka).

GMGIPND—Job III—1975 LS—24-10-81—890